संख्या:1049/VII-II-12/06-रा0मु0/2006

प्रेषक,

किशन नाथ,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांकः 19 जून, 2012**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2012–13 में राजकीय मुद्रणालय रूड़की के अधिष्ठान व्यय अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों में धनराशि स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:193/XXVII (1)/2012 दिनांकः 30 मार्च, 2012, तथा अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की के पत्र संख्या:1246/बजट/2012–13 दिनांक 08.05.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **वित्तीय वर्ष 2012–13 में राजकीय मुद्रणालय रूड़की, हरिद्वार के अधिष्ठान व्यय अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की अवचनबद्ध मद 42–अन्य व्यय की समस्त धनराशि ₹33 हजार (₹ तैंतीस हजार मात्र) संलग्न अलोटमेंट आई0डी0–S1206231247 दिनांक 01 जून, 2012** के अनुसार निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– **उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारियों को स्वीकृत धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से साफ्टवेयर द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।**

3– उक्त धनराशि अवचनबद्ध मदों में स्वीकृत की जा रही है तथा आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि अवचनबद्ध मदों में धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय, एवं इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, एवं प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा, तथा नियमित रूप से यदि सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

5– व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा, तथा धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 193/XXVII(1)/2012 दिनांकः 30 मार्च, 2012 में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

7– स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च 2013 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

8– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखा शीर्षक–2058–लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 00–आयोजनेत्तर, 001–निदेशन एवं प्रशासन, 03–राजकीय मुद्रणालय रूड़की अधिष्ठान एवं 104–अन्य साधनों से मुद्रण की लागत, 03–छपाई की लागत अन्तर्गत 42–अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः193/ XXVII(1)/ 2012 दिनांकः 30 मार्च, 2012 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– आई0डी0– S1206231247 दिनांक 01.06.2012

भवदीय,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः1049(1)/VII-II-12/06–रा0मु0/2006 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओवराय विल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Industry (S023)

...त्र संख्या - 1049 | अलोटमेंट आई डी - S1206231247

...ान संख्या - 023 | आवंटन पत्र दिनांक - 01-Jun-2012

लेखा शीर्षक - 2058 - लेखन सामग्री तथा मुद्रण

00 -

104 - अन्य साधनों से मुद्रण की ला

03 - छपाई की लागत

00 - छपाई की लागत

HOD Name - Director Industries (2052)

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य व्यय	0	33000	33000
	0	**33000**	**33000**